

**बिहार सरकार**  
**डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग**

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०  
सरकार के संयुक्त सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक :- 22/04 /2026.

\*अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित।

द्वारा :-

\*आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :-

केन्द्र प्रायोजित योजना-पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health and Disease Control Programme - LH & DCP) के तहत "बिहार पशु चिकित्सा परिषद् (Bihar Veterinary Council) की स्थापना की योजना (शत-प्रतिशत राज्यांश)" के अवधि विस्तार हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 3.15 लाख (तीन लाख पन्द्रह हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-854, दिनांक-17.02.2026 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत केन्द्र प्रायोजित योजना-पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health and Disease Control Programme - LH & DCP) के तहत "बिहार पशु चिकित्सा परिषद् (Bihar Veterinary Council) की स्थापना की योजना (शत-प्रतिशत राज्यांश)" के अवधि विस्तार हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 3.15 लाख (तीन लाख पन्द्रह हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी-"क" के रूप में संलग्न।

2. बिहार पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कार्यरत पशु चिकित्सकों के कार्यकलापों को वैधानिक मान्यता प्रदान करते हुए उनके निबंधन का कार्य किया जाना है। साथ ही बिहार पशु चिकित्सा परिषद् के माध्यम से राज्य के पशु चिकित्सकों को पशु चिकित्सा की नयी तकनीक एवं शोध से अवगत कराने तथा जागरूकता हेतु सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाना है।
3. वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागीय राज्यादेश संख्या-2820, दिनांक-11.10.2021, वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागीय राज्यादेश संख्या-1729, दिनांक-26.05.2022, वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभागीय राज्यादेश संख्या-2019, दिनांक-22.05.2023, वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय राज्यादेश संख्या-6 एस०एस०(9)01/2012-1154, दिनांक-10.03.2025 तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय राज्यादेश संख्या-3915, दिनांक-02.09.2025 एवं पूरक राज्यादेश संख्या-854, दिनांक-17.02.2026 के द्वारा बिहार पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना का पद सहित अवधि विस्तार तथा इसके स्थापना पर

होने वाले व्यय राज्यांश शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा व्यय करने हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।

4. उक्त के क्रम में "बिहार पशु चिकित्सा परिषद (Bihar Veterinary Council) की स्थापना की योजना" के अवधि विस्तार हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 3.15 लाख (तीन लाख पन्द्रह हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है। स्थापना व्यय का वहन शत-प्रतिशत राज्यांश से किये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना की व्यय विवरणी-'क' संलग्न है।
5. वित्तीय वर्ष 2026-27 में "बिहार पशु चिकित्सा परिषद (Bihar Veterinary Council) की स्थापना की योजना" के अन्तर्गत संगत बजट शीर्ष में पर्याप्त बजट उपबंध उपलब्ध है। योजना अन्तर्गत व्यय को उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
6. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रजिस्ट्रार, बिहार पशु चिकित्सा परिषद, पटना होंगे। निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
7. वित्तीय वर्ष 2026-27 में "बिहार पशु चिकित्सा परिषद (Bihar Veterinary Council) की स्थापना की योजना" के तहत व्यय का वहन बजट मुख्य शीर्ष-2403 -पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 101-पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, माँग सं०-02, उप शीर्ष-0301 -राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड 02-2403001010301, पी०एफ०एम०एस० कोड-4123 के तहत किया जायेगा।
8. चूकि यह स्कीम एक चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं अवधि विस्तार से संबंधित है। इसलिए बिहार कार्यपालिका (संशोधन) नियमावली-2007 के नियम-21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची के नियम-(क) के उप नियम-4 के तहत इस स्कीम की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(9)01/2012 के पृष्ठ-158/टि०, डायरी संख्या-133 एवं दिनांक-13.04.2026.
9. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(9)01/2012 के पृष्ठ-157/टि० तथा डायरी संख्या-223, दिनांक-09.04.2026.
10. वित्त विभागीय पत्र संख्या-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकर, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9)01/2012- 1915 /पटना-15, दिनांक-22/04/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना विकास विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9)01/2012- 1915 /पटना-15, दिनांक-22/04/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9)01/2012- 1915 /पटना-15, दिनांक-22/04/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9)01/2012- 1915 /पटना-15, दिनांक-22/04/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित रजिस्ट्रार (पदेन) पशु चिकित्सा परिषद, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन डेयरी विभाग, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9)01/2012- 1915 /पटना-15, दिनांक-22/04/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9)01/2012- 1915 /पटना-15, दिनांक-22/04/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/योजना शाखा-06 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9)01/2012- 1915 /पटना-15, दिनांक- 22 / 04 / 2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी "क"

वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना की योजना के अवधि विस्तार पर होने वाले अनुमानित व्यय (राज्यांश 100 प्रतिशत) की विवरणी :-

क्रमांक	मद एवं पदनाम	वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल)	पदों की संख्या		स्थापना व्यय (वेतनादि)						अभ्युक्ति
			स्वीकृत बल	कार्यरत बल	मूल वेतन (ग्रेड पे सहित)	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	वेतन एवं भत्ते										
1	रजिस्ट्रार	-	1	0	-	-	-	-	-	-	
2	तकनीकी अधीक्षक	-	1	0	-	-	-	-	-	-	
3	लिपिक (सहायक)	-	2	0	-	-	-	-	-	-	
4	कम्प्यूटर ऑपरेटर	-	1	0	-	-	-	-	-	-	
	<b>योग :-</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	
	1 (एक) वर्ष का वेतन				-	-	-	-	-	-	
	बकाया एवं अन्य वेतनादि				70,000	30,000	20,000	-	-	1,20,000	
	<b>कुल योग (वेतन एवं भत्ते)</b>				<b>70,000</b>	<b>30,000</b>	<b>20,000</b>	-	-	<b>1,20,000</b>	
5	13 01 - कार्यालय व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71,000	
6	13 03 - दूरभाष	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	
7	13 04 - विद्युत प्रभार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	28 02 - संविदा सेवायें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>कुल प्रस्तावित राशि :-</b>									<b>3,15,000</b>	

(कुल रुपये तीन लाख पन्द्रह हजार मात्र)

1915  
22/04/26

सरकार के संयुक्त सचिव